



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 171 / SEIAA/2022

Date: 13/4/22

प्रति,

खनिज अधिकारी,
जिला - मंदसौर (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र. 8999/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मनुप्रिया यादव, निवासी- भैसोदा मण्डी, तहसील भानपुरा जिला - मंदसौर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), खसरा नं. 1232, रकबा 2.652 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर -8,512 एवं सेलेबल वेस्ट 5,488 घनमीटर प्रतिवर्ष, ग्राम बबुल्दा, तहसील भानपुरा जिला- मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 552 वी बैठक दिनांक 18.02.2022 अनुसंशा उपरांत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 मे निम्नानुसार निर्णय लिया गया.....

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्र. 2380 दिनांक 17.11.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत नहीं होना उल्लेखित है यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार अन्य खदान परिलक्षित है एवं क्रेशर भी स्थापित है। इस कारण आवेदित प्रकरण बी-1 अथवा बी-2 श्रेणी का है, यह स्पष्ट नहीं होता है। अतः खनिज अधिकारी, मंदसौर से 15 दिवस की अवधि में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त किया जाने का निर्णय लिया गया। प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में 15 दिवस में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी SEIAA निर्णय कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।

15 दिवस में

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 172 /SEIAA/2022
प्रतिलिपि:-

दिनांक - 13/4/22

श्रीमती मनुप्रिया यादव, निवासी- भैसोदा मण्डी, तहसील भानपुरा जिला - मंदसौर (म.प्र.), को सुचनार्थ ।

प्रभारी अधिकारी

७२